न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./10/2023/जैसलमेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1. भैरूसिंह पुत्र मोडसिंह वगै. **बनाम** 1.अर्जुनसिंह पुत्र लखसिंह के का.मु. नखतसिंह वगै.

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र प्रभावित पक्षकारान(अपीलांट) को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने बाबत्

उपस्थित

1. वकील श्री छैलसिंह राठौड़ प्रार्थी आवेदक की ओर से
2. वकील श्री राणाराम गौड़ रेस्पोडेंट संख्या 01 के कायम मुकाम की ओर से
3. वकील श्री हरीराम चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02, 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 18.06.2025

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपीलांट का प्रार्थना–पत्र प्रभावित पक्षकारान (अपीलांट) को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने बाबत पर बहस करते हुए उसने उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में अपीलांट को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलांट एक प्रभावित पक्षकार है और उसके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। विवादित कृषि भूमियां अपीलांट की भी पुश्तैनी भूमियां है और इनमें अपीलांट का भी कब्जा काश्त, हक, हिस्सा व अधिकार है और विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष वादी के द्वारा प्रस्तुत दावे में न तो अपीलांट को पक्षकार बनाया गया न ही सुनवाई का अवसर दिलवाया गया। अपीलाधीन कृषि भूमियों को अपनी अकेले की पुश्तैनी व कब्जा काश्त की बतलाकर खातेदारी की घोषणा का निर्णय व डिक्री पारित करवा लिया है। इन परिस्थितियों में उक्त प्रकरण में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06.01.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देकर सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना अति आवश्यक व न्यायसंगत है। अपीलाधीन आराजी अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि जिसकी खातेदारी रेस्पोडेंटगण ने तथ्यों को छुपाकर अपने नाम करवा दी जो विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खिलाफ है। अपीलांटस/प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने का हितवद्ध व प्रभावी पक्षकार होने का अधिकारी है इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 के कायम मुकाम ने प्रार्थना–पत्र प्रभावित पक्षकारान (अपीलांट) को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने बावत अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंटगण वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। अपीलांटस वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं है। अपीलकर्ता का उक्त कथन विवादित कृषि भूमियां अपीलांट की पुश्तैनी भूमियां हैं पूर्णतया मिथ्या एवं निराधार अंकित किया है। वास्तव में अपीलाधीन आराजी उत्तरदाता अर्जुनसिंह के कब्जे काश्त की भूमियां थी जिस पर वक्त सेटलमेंट से ही मुतवफी अर्जुनसिंह काबिंज काश्त विद्यमान था एवं समरी सेटलमेंट में भी अर्जुनसिंह का नाम भी दर्ज था परन्तु सहवन से राजस्व अधिकारियों द्वारा समरी सेटलमेंट के विरूद्ध जाकर वादग्रस्त भूमियां सिवायचक दर्ज की गयी। अपीलाधीन आराजी में अपीलांट का कोई हक व हिस्सा विद्यमान नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को चुनौती देने का कोई आधार नहीं है। अपीलांट का हस्तगत प्रकरण से किसी प्रकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। अपीलांट द्वारा अपील पेश कर रेस्पोडेंट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपील पेश की जा रही है। अपीलाधीन आराजी में अपीलांट का किसी प्रकार का कोई हित निहित नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रभावित पक्षकारान (अपीलांट) को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने बाबत खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र प्रभावित पक्षकारान (अपीलांट) को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने बाबत पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं है। अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर खातेदारी अधिकार देना प्रतिबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील दायर कर रखी है एक ही वादग्रस्त आराजी को लेकर है। उभयपक्षकारान का अपीलाधीन आराजी में कोई हक नियत नहीं होकर भूमि राजकीय खाते की है। अपीलांट का आवेदन स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमाया जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं होगी।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। कि अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का हित किसी प्रकार से निहित है इस संबंध में किसी प्रकार का रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस वादग्रस्त भूमि का न तो खातेदार रूप में हक दर्शाता है और न ही इसका कोई सीधा संबंध ही प्रकट करता है। रेस्पोडेंट को यह भूमि 06.01.2023 को दावे में डिक्री होकर खातेदारी में मिली है। जिसमें अपीलांट का कोई प्रत्यक्ष हित निहित नहीं है, नहीं वह पीड़ित या प्रभावित पक्षकार ही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपीलांटस वादग्रस्त आराजी का हितबद्ध, प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार नहीं ठहरते हैं। अतः अपीलांट का प्रार्थना–पत्र प्रभावित पक्षकारान (अपीलांट) को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने बावत सारहीन होने से खारिज योग्य है।

लिहाजा उसको अपील प्रस्तुति की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रभावित पक्षकारान (अपीलांट) को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने बाबत सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

चूंकि अपील में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रभावित पक्षकारान (अपीलांट) को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने बाबत का आवेदन खारिज किया जा चुका है इसलिए उसे अपील प्रस्तुत की अनुमति नहीं है। अपील ग्रहण योग्य नहीं है लिहाजा अपीलांटगण की अपील खारिज की जाती है।

18/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/6/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर